



दिल्ली विकास प्राधिकरण
चिकित्सा कक्ष, जी-ब्लॉक (पूर्व में प्रेस बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था),
प्रथम तल, विकास सदन
आईएनए, नई दिल्ली - 110023



सं. एफ8 (3) 2015-16/एमसी-I/एनएमएस/पार्ट-VII/1127

दिनांक: 22.05.2024

वित्त एवं व्यय परिपत्र सं.08

विषय: दिल्ली/एनसीआर से बाहर रहने वाले पेंशनभोगी/उनके परिवार के पेंशनभोगी द्वारा सीजीएचएस के पैनलबद्ध अस्पताल से क्रॉनिक/पोस्ट ऑपरेटिव बीमारी का चिकित्सा उपचार।

दिल्ली/एनसीआर से बाहर रहने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी/उनके परिवार के पेंशनभोगी को अपनी क्रॉनिक/पोस्ट ऑपरेटिव बीमारी के चिकित्सा उपचार के दौरान होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों को डीडीए में पैनलबद्ध अस्पतालों के बराबर मानने का निर्णय लिया है। इस संबंध में, उपचार लेने से पहले चिकित्सा लाभार्थियों को इंटरनेट की सहायता से यह जांचना और सुनिश्चित करना होगा कि अस्पताल सीजीएचएस के पैनल में है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है और इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

हस्ता0/-
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित : -

1. उपाध्यक्ष, वित्त सदस्य के विशेष कार्याधिकारी
2. उपाध्यक्ष, वित्त सदस्य, अभियंता सदस्य के निजी सचिव
3. मुख्य लेखाधिकारी, प्रधान आयुक्त (पी/एलएम), मुख्य सतर्कता अधिकारी, मुख्य विधि सलाहकार, आयुक्त (एलएम/एलडी), आयुक्त (सिस्टम), आयुक्त (आवास), आयुक्त (खेल) के निजी सचिव
4. आयुक्त एवं सचिव के निजी सचिव, आयुक्त (योजना) के निजी सचिव, मुख्य वास्तुकार के निजी सचिव
5. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) के निजी सचिव, सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता
6. सभी निदेशक
7. सभी उप मुख्य लेखाधिकारी, पीएओ (ईडब्ल्यू)
8. सभी चिकित्सा लाभार्थी
9. सभी नोटिस बोर्ड

हस्ता0/-
मुख्य लेखा अधिकारी